को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक विभाग/शाखा से दूसरे विभाग/शाखा में स्थानांतरण की शर्त रखी गई है ।

(ख) इन नियमों का अनुपालन स्टोर के कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये किया जा रहा है ।

(ग) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि महाप्रबंधक के कार्यालय में प्राप्त हुये सभी आवेदन-पत्रों को निपटाया जा चुका है ।

(घ) और (ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि नवीकृत कपड़ा/सिले-सिलाये वस्त्र विभाग के कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये महिला बिक्री सहायक का स्थानांतरण किया गया था ।

(च) और (छ) सुपर बाजार ने सूचित किया है सामान्यतः स्थान स्थानांतरण कर्मचारी द्वारा दिये गये नवीनतम आवासीय पते को ध्यान में रखते हुये किए जाते हैं और ऐसा करते समय इस बात पर यथोचित ध्यान दिया जाता है कि आने-जाने की दूरी ज्यादा अधिक न हो । तथापि, दंडात्मक मामलों में इसका अनुसरण नहीं किया जाता है ।

सुपर बाजार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

695. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित सुपर बाजार के उपमहाप्रबंधक (प्रशासन), सहायक प्रबंधक (कार्मिक) और सहायक प्रबंधक (क्रय) के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक आरोप सिद्ध हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये कोई जांच समिति गठित की है ;

(घ) यदि हां, तो समिति की जांच निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और क्या सरकार द्वारा उनका स्थानांतरण किया गया है ;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(छ) जांच समिति की रिपोर्ट की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सौंपने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उप महाप्रबंधक (प्रशासन) सहायक प्रबंधक (कार्मिक) और सहायक प्रबंधक (क्रय) के विरूद्ध भ्रष्टाचार के कोई आरोप सिद्ध नहीं हुये हैं ।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठता है ।

घटाये गये मूल्यों के लाभ खुदरा बाजार को न देना

696. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान करने की घोषणाओं के कारण थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतें कम हो जाने के बावजूद उपभोक्ताओं को खुदरा बाजार में वस्तुएं कम कीमत पर नहीं मिलती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाजार की इस प्रवृति पर अंकुश लगाने के लिये राष्ट्रीय स्तर की कोई योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या हैं और किस तारीख से इसे लागू किये जाने का विचार हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) आम तौर पर खुदरा बाजार में मूल्य संबंधित थोक बाजार के मूल्यों के समान ही समय का अन्तराल होता है। तथापि, खुदरा और थोक मूल्यों के बीच उतार-चढ़ाव के परिमाण में अलग-अलग वस्तुओं और भिन्न-भिन्न बाजारों में उल्लेखनीय अन्तर होता है तथा यह सामान्यत: किस्म अथवा गुणवत्ता, व्यापार मार्जिन, सरकार द्वारा घोषित रियायतों इत्यादि जैसे कारकों द्वारा प्रभावित होता है।

(ख) और (ग). कुछ चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों को उनके थोक मूल्यों के रुख के अनुसार रखना, उचित मूल्य स्थिरता बनाये रखने की निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया का एक अंग है, जिसे सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। तथापि, आम तौर पर खुदरा मूल्य, ढुलाई लागत, व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले स्थानीय करों और अन्य छोटी प्रभारों के कारण थोक मूल्यों की तुलना में अधिक होते हैं। जब कभी भी मांग और आपूर्ति के बीच मौजूदा अन्तर के कारण आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम होती है, तो उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने के अलावा आयात का सहारा लेकर उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कदम उठाये जाते हैं। सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार जैसे सरकारी अभिकरण अपनी स्थाई/चलते-फिरते बिक्री केन्द्रों के जरिए आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा लोगों को इन वस्तुओं की आपूर्ति राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों के माध्यम से भी सुनिश्चित की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाया जा रहा है, ताकि इसके लाभ दुर्गम क्षेत्रों तक भी पहुंचाए जा सकें। मूल्यों की अनुवीक्षा संबंधी अंतर्मंत्रालयिक समन्वय समिति मूल्य स्थिति की समीक्षा करती है और संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त एवं समय से कार्यवाही करने की सलाह दी देती है।

प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु समितियां

697. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए सुझाव देने के लिये हाल ही में उच्चित स्तर की चार सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान अनेक समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान नियुक्त की गई समितियों या आयोगों के नाम क्या-क्या हैं और इन्हे कब नियुक्त किया गया था और क्या अब तक सरकार को उनकी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इन सिफारिशों के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए. के. एंटनी) : (क) जी हां। खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को निर्धारित करने की विस्तार से जांच करने के लिये और सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिये आवश्यक सुधारों का सुझाव देने हेतु 1994 में एक चार सदस्यीय सचिवों की समिति का गठन किया गया है।